

10-10-22 पन्नावली पेडा डुम्री। वकील अपीलान्ट उप०।
अपील, अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात
राजस्व रिमांड व प्रश्नगत नामा० 263
का अवलोकन किया गया। बट्ट अपीलान्ट
पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया
है कि अपीलाधीन नामा० सं. 263 विद्युत् पत्र
दिनांक 31-5-1982 की पालना में दर्ज
डुम्री है जिसमें विद्युत् पत्र में किडित।
अंकित श्रमियों के आतिरिक्त ससरा
नं. 100 भी सखन से नामा० में दर्ज
कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया।
जो कि गलत एवं विधि विरुद्ध है, अतः
अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना
उचित है।

आदेश

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील
अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा० सं.
263 दिनांक 24-08-1982 खारिज।
अपास्त किया जाता है एवं तदसीलदार
नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है
कि वादग्रस्त श्रमियों के सम्बन्ध में
निरपवादित विद्युत् पत्र दिनांक 31-05-
1982 के अनुसार नवीन नामा-
न्तरकरण दर्ज करें। पन्नावली काद
फैसल शुमार नम्बर से फम होकर
दफ्तर दारखिल हो। निर्वाह सेरे
इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)